न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 68 / 2021 अपील (GCMS 2021/91)
पंजीयन दिनांक– 01 / 10 / 2021
निर्णय दिनांक– 30 / 03 / 2026

1. श्री खेमराज पिता स्व. हरीराम तेली, निवासी झाड़ोल, तहसील झाड़ोल, उदयपुर
2. श्री मन्नालाल पिता स्व. हरीराम तेली, निवासी झाड़ोल, तहसील झाड़ोल, उदयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मोडा पिता स्व. रूपा तेली, निवासी वाघपुरा झाड़ोल, उदयपुर
2. श्री देवीलाल पिता स्व. हीरा तेली, निवासी वाघपुरा झाड़ोल, उदयपुर
3. कुलदीप पिता स्व. हेमराज नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती दुर्गा विधवा हेमराज तेली, निवासी वाघपुरा झाडोल, उदयपुर
4. पुंजा पिता स्व. हेमराज नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती दुर्गा विधवा हेमराज तेली, निवासी वाघपुरा झाडोल, उदयपुर
5. श्रीमती दुर्गा विधवा हेमराज तेली, निवासी वाघपुरा झाडोल, उदयपुर
6. श्री अम्बालाल पिता स्व. हिरा तेली, निवासी वाघपुरा झाड़ोल, उदयपुर
7. श्री दिनेश पिता स्व. हिरा तेली, निवासी वाघपुरा झाड़ोल, उदयपुर
8. श्री जगदीश पिता पूनमचन्द लौहार निवासी मगवास
9. श्रीमती मन्नुदेवी पत्नी भंवरलाल बोहरा, निवासी झाड़ोल, उदयपुर
10. श्री उदयलाल पिता खेमराज पटेल, निवासी झाडोल, उदयपुर
11. श्रीमती चन्द्रकांता पत्नी ख्यालीलाल कुमावत, निवासी मानस
12. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी दिनेश चन्द्र कुमावत, निवासी दमाणा झाडोल, उदयपुर
13. श्री नारायण लाल पिता नाथु पटेल, निवासी समीजा गोगुन्दा, उदयपुर

संभागीय आयुक्त

14. श्रीमती मीरा पत्नी दिनेश पटेल, निवासी सुल्तान जी का खेरवाड़ा, उदयपुर
15. श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी चेनाराम पटेल, निवासी समीजा गोगुन्दा, उदयपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडौल, जिला उदयपुर
17. श्री सोहनलाल पिता स्व. हरिराम निवासी झाडोल, उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीराम शाकद्विपी — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मनीष शर्मा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1, 2 एवं 5 से 7 **अनुपस्थित**
3. श्री अजय व्यास — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 17 **अनुपस्थित**
4. श्री कुलदीप चौबिसा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 9 **अनुपस्थित**
5. श्री मुरलीधर पालीवाल — राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर झाड़ोल, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 19/2013 प्रा.प. निर्णय दिनांक 28.01.2021

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, झाडोल, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 19/2013 प्रा.पत्र धारा 136 दिनांक 28.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाड़ोल, तहसील झाड़ोल स्थित आराजी नम्बर 585 में 1/2 हिस्सा प्रथम पेमाईश में रेस्पोडेंट संख्या 1 मोडा के पिता रूपा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। द्वितीय पेमाईश सम्वत 2037 में साबिक आराजी नम्बर 585 के हाल नम्बर 949 व 952 बने और अभिलेख में रूपा पिता मोती 1/2 के बजाय खेमा पिता मोती दर्ज कर दिया गया। इसको दुरूस्त कराने हेतु मृतक रूपा के वारिसान ने न्यायालय सहायक कलक्टर, झाडोल में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई न्यायालय सहायक कलक्टर, झाडोल ने दिनांक 28.01.2021 को अभिलेख में खातेदार खेमा पिता मोती के बजाय रूपा पिता मोती संशोधन करने का आदेश दिया। इस आदेश से व्यथित होकर सह खातेदार अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र मय अपील पेश किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को सम्मन जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पाडेंट्स व उनके वकील अनुपस्थित होने से विद्वान वकील अपीलांट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट्स ने सर्वप्रथम बहस करते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह भूमि के सह खातेदार है जिनको भी न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था। यह जानते हुए भी कि वह आपस में रिश्तेदार है और सहखातेदार होकर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे हितबद्ध पक्षकार होने से अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। मयाद के बिन्दु पर बताया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी क्योंकि वह पक्षकार नहीं थे जिससे जैसे ही जानकारी मिली, जानकारी के दिनांक से मयाद के भीतर अपील प्रस्तुत कर दी गई है जो संतोषजनक कारण है।

विद्वान वकील ने बहस करते हुए मेरिट पर बताया कि रस्पोडेंट द्वारा खानदान का सजरा गलत पेश किया गया है। मूल पुरूष मोती के दो पुत्र नाथु व खेमा हुए जिसमं से खेमा लाऔलाद फोत हुआ। नाथु के हम वारिसान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रस्पोडेंट संख्या 1 से 7 का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित सहखातेदारों के बयान नहीं लिये न ही मोतबिर व्यक्यिों के बयान लिये। जो बयान लिये गये वह बागपुरा निवासी रेस्पोडेंट के पड़ोसी है जिन पर विश्वास नहीं किया जा

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

सकता है। यह भी तर्क दिया कि सेटलमेंट होने के 35–40 वर्षों बाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जो मयाद बाहर तो है ही परन्तु संदेहास्पद भी है। अधीनस्थ नयायालय ने बिना किसी ठोस आधार के जो निर्णय दिया है वह नियम विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमानुसार है। अपीलांट को यदि आपत्ति है तो उन्हें नियमानुसार घोषणा का वाद कर दाद प्राप्त करनी चाहिये। अतः अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। **वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. मय शपथ पत्र पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तथा मयाद कन्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 28.01.2021 को पारित धारा–136 भू राजस्व अधिनियम को आक्षेपित करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती में खेमा पिता मोती तेली से रूपा पिता मोती तेली के नाम सुधार के आधार पर पारिवारिक सजरे को नकारा है। साथ ही यह भी कथन किया है कि सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 35 वर्ष बाद खातेदारी परिवर्तन मात्र मौखिक कथनानुसार कर दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटियों या बन्दोबस्त के दौरान हुई अशुद्धियों को सुधारने का अधिकार देती है किन्तु यदि त्रुटि किसी खातेदार को प्रभावित करती है तो उसे सुना जाना आवश्यक

है। खातेदारों की आपसी सहमति एवं उपरोक्तानुसार रेकार्ड के सत्यापन के आधार पर धारा–136 के तहत दुरूस्ती आदेश जारी होता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में चूंकि समस्त सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा उन्हें अपीलाधीन आदेश व इन्द्राज दुरूस्ती से ऐतराज है, अतः व्यापक न्यायहित में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर सहायक कलक्टर, झाडोल से अपेक्षा की जाती है कि वे समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर अभिलेख के सत्यापन पश्चात तीन माह में समुचित आदेश पारित करें।

अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि. वे न्यायालय सहायक कलक्टर, झाडोल के समक्ष दिनांक 29.04.2026 को उपस्थित हों।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। मिसल शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर